निबंधन **संख्या** पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 25 **पटना, बुधवार, 1 आषाढ़ 1944 (श0)**
22 जून 2022 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1– नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**2-4**
भाग-1-क–स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख–मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2–बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	**5-5**
भाग-3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4–बिहार अधिनियम	---
भाग-5–बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7–संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8–भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9–विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	**6-6**
पूरक	---
पूरक-क	**7-11**

भाग–1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

नगरपालिका स्वच्छता एवं विकास निदेशालय
नगर विकास एवं आवास विभाग

————————

अधिसूचनाएं
30 मार्च 2022

सं0 12/न0वि0/SBM-03/2022–**1655**––स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के लिए जारी मार्गदर्शिका की कंडिका–3.2.1 के आलोक में राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्च स्तरीय समिति (SHPC) के गठन का प्रावधान किया गया है।

उक्त के आलोक में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के लिए राज्य उच्च स्तरीय समिति (SHPC) का गठन निम्नवत् किया जाता हैः–

i.	मुख्य सचिव, बिहार	अध्यक्ष
ii.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार	सदस्य
iii.	राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)	सदस्य सचिव
iv.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार	सदस्य
v.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार	सदस्य
vi.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार	सदस्य
vii.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार	सदस्य
viii.	प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना	सदस्य
ix.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
x.	अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना।	सदस्य

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, **संयुक्त सचिव।**

————————

30 मार्च 2022

सं0 12/न0वि0/SBM-03/2022–**1656**––स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की मार्गदर्शिका की कंडिका–3.2.2 के आलोक में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) के गठन का प्रावधान किया गया है।

उक्त के आलोक में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) का गठन निम्नवत किया जाता हैः–

i.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार	अध्यक्ष
ii.	राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)	संयोजक
iii.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर), वित्त विभाग, बिहार	सदस्य
iv.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार	सदस्य
v.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार	सदस्य
vi.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार	सदस्य
vii.	प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना	सदस्य
viii.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
ix.	सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना	सदस्य

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, **संयुक्त सचिव।**

वाणिज्य–कर विभाग

———————

अधिसूचना

17 जून 2022

सं0 कौन/भी–612/07–81/सी––श्री सुबीर कुमार भट्टाचार्य, तत्कालीन वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त (निलंबित) को देवघर कोषागार के पदस्थापन काल में पशुपालन घोटाले से संबंधित दर्ज सी0बी0आई0 कांड संख्या–64 (A)/96 पैट में सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 02.07.2005 को न्यायिक हिरासत में लिये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या–118 दिनांक 15.02.2006 के द्वारा दिनांक 02.07.2005 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया। जमानत पर न्यायिक हिरासत से रिहा होने के पश्चात् श्री भट्टाचार्य द्वारा दिनांक 15.09.2006 को योगदान समर्पित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(3) के तहत् विभागीय अधिसूचना संख्या–790 दिनांक 15.12.2006 के द्वारा दिनांक–15.09.2006 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया। चूँकि इनके विरूद्ध पशुपालन घोटाले से संबंधित आपराधिक मामला तत्समय न्यायिक जाँच एवं विचारण के अधीन था, अतएव उक्त नियमावली के नियम 9(1) (ग) के तहत् श्री भट्टाचार्य को विभागीय अधिसूचना संख्या–791 दिनांक 16.12.2006 के द्वारा तत्कालीन प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया। श्री भट्टाचार्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.- 84796/12 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 04.05.2012 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में श्री भट्टाचार्य को विभागीय अधिसूचना संख्या–83, दिनांक 21.08.2012 द्वारा तत्कालीन प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया तथा निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में निर्णय श्री भट्टाचार्य के विरूद्ध दर्ज आपराधिक मामले के न्यायालय द्वारा अंतिम निष्पादन के उपरान्त उसके फलाफल के आधार पर लिए जाने का आदेश संसूचित किया गया। इस प्रकार श्री भट्टाचार्य दिनांक 02.07.2005 से दिनांक 21.08.2012 तक निलंबन अवधि में रहें।

चारा घोटाला से संबंधित सी0बी0आई0 काण्ड सं0–64(ए)/96 पैट में श्री सुबीर कुमार भट्टाचार्य, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, देवघर सम्प्रति सेवानिवृत वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त के विरूद्ध माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 23.12.2017 एवं दिनांक 06.01.2018 को पारित आदेश/न्याय निर्णय में श्री भट्टाचार्य को दोषी पाते हुए सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी गयी।

उक्त पारित न्याय निर्णय के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–58/सी, दिनांक–20.7.2021 द्वारा बिहार पेंषन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत श्री सुबीर कुमार भट्टाचार्य, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, देवघर सम्प्रति सेवानिवृत के पूर्ण पेंशन एवं उपदान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगाये जाने संबंधी दंड संसूचित किया गया।

श्री भट्टाचार्य के निलंबन अवधि दिनांक 02.07.2005 से दिनांक 21.08.2012 तक के विनियमन हेतु मामले की समीक्षा की गयी तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से परामर्श की मांग की गयी। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में विभागीय पत्रांक–13/सी, दिनांक 10.02.2022 द्वारा श्री भट्टाचार्य से निलंबन अवधि दिनांक 02.07.2005 से दिनांक 21.08.2012 तक के विनियमन के संबंध में अपना पक्ष रखने का अनुरोध किया गया। जिसके आलोक में श्री भट्टाचार्य द्वारा अपने अभ्यावेदन/पत्र दिनांक 16.02.2022 के माध्यम से अपना पक्ष विभाग को प्रेषित किया गया। समीक्षोपरान्त श्री भट्टाचार्य द्वारा समर्पित अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया तथा इससे असहमत होते हुए श्री सुबीर कुमार भट्टाचार्य, सेवानिवृत वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त के निलंबन अवधि दिनांक 02.07.2005 से दिनांक 21.08.2012 तक के विनियमन के संबंध में सक्षम प्राधिकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है:–

1. श्री सुबीर कुमार भट्टाचार्य, सेवानिवृत वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त के निलंबन अवधि दिनांक–02.07.2005 से दिनांक 21.08.2012 तक की अवधि में देय निर्वाह भत्ता के अतरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

2. श्री भट्टाचार्य को सक्षम न्यायालय द्वारा आपराधिक काण्ड संख्या आर0सी0 64 (ए)/96 पैट में दंडित किये जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या–58/सी दिनांक 20.07.2021 द्वारा पूर्ण पेंशन एवं उपदान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगायी गयी है, अतएव उक्त निलंबन अवधि को मात्र पेंशन प्रयोजन से परिगणित किये जाने का कोई लाभ श्री भट्टाचार्य को नहीं मिलेगा।

अतः लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुबीर कुमार भट्टाचार्य, सेवानिवृत वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त के निलंबन अवधि दिनांक 02.07.2005 से दिनांक 21.08.2012 तक को निम्न रूप से विनियमित किया जाता हैः–

1. श्री सुबीर कुमार भट्टाचार्य, सेवानिवृत वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त के निलंबन अवधि दिनांक 02.07.2005 से दिनांक 21.08.2012 तक की अवधि में देय निर्वाह भत्ता के अतरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

2. उक्त निलंबन अवधि (दिनांक 02.07.2005 से दिनांक 21.08.2012 तक) को मात्र पेंशन प्रयोजन से परिगणित किये जाने का कोई लाभ श्री भट्टाचार्य को नहीं मिलेगा।

उपरोक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

पंकज कुमार सिन्हा, राज्य कर अपर आयुक्त–सह–संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 14—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

वित्त विभाग

————

शुद्धि–पत्र

17 जून 2022

सं0 1/स्था०(ले०से०)–17/2014–5702/वि०––वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या–793 दिनांक 03.02.2022 द्वारा वित्तीय प्रशासन पदाधिकारी (ए०सी०/डी०सी० सेल), वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित श्री मनोज कुमार (बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा) के पदस्थापन का पदनाम ''वित्तीय प्रशासन पदाधिकारी'' ए०सी०/डी०सी० सेल, वित्त विभाग (वेतन स्तर–9) को संशोधित करते हुए अवर बजट नियंत्रक–सह–अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना (वेतन स्तर–11) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. अधिसूचना संख्या–793 दिनांक 03.02.2022 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र कुमार, उप–सचिव।

———————

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 14—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

No. 701—I, KUMARI Renu Sinha D/o Mithilesh Prasad Singh Moh, Pitambra Mandir Colony, PO-Gulzarbagh,Patna,Bihar declare vide affidavit no.2418 dated 28.03.22 shall be known as Renu Sinha and use in future for all purposes.

KUMARI Renu Sinha.

सं0 702––मैं, मोहम्मद शौकत अली, पिता–मोहम्मद हबीबुज जमाँ, पता–काजमी बेगम कम्पाउण्ड, गुजरी बाजार, नियर–सेल टेक्स ऑफिस, थाना–खाजेकलॉ, पो0–झाउगंज, पटनासिटी, जिला–पटना 800008 बिहार शपथ पत्र संख्या 2438 दिनांक–28.03.22 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मैं मोहम्मद शौकत अली आज से मोम्मिद शौकत के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊँगा।

मोहम्मद शौकत।

No. 702—I, MOHAMMAD Shaukat Ali S/o Mohammad Habibuz Zaman R/o Kazmi Begum Compound, Guzri Bazar, Opposite Sales Tax Office, P.S.-Khajekalan, PO-Jhauganj, Patna City Patna-800008, Bihar. Vide affidavit no. 2438 dated 28.03.2022 from Executive Magistrate Patna City declare that my correct name is Mohammad Shaukat but in educational certificates and Govt. Documents was mentioned as Mohammad Shaukat Ali. From now onwards I shall be known as Mohammad Shaukat for all purposes.

MOHAMMAD Shaukat Ali.

No. 723—I, Archana Jha, W/O Nirbhay Nath Mishra, Res. Of C-203, New Patliputra Colony, Patna 800013, That my Correct Name Is Archana Jha. In My Daughter Ananya Mishra's Passing Certificate My Name Is Wrongly Mentioned As Archana Mishra. My Correct Name Entry is Archana Jha. Hence this Aff. No-3149, Date 15.02.2022.

Archana Jha.

No. 724—I, Anukul Singh , S/O Pravas Kumar Singh R/O Road no 10, A Sanjay Gandhi Nagar , Mohan house wali Gali, 1st House, opp. HIG Flats, Near NBCC Tower, Patrakarnagar, Dist.-Patna, Bihar do hereby solemnly declare that my name is Anukul according to Xth & XIIth marksheet & certificate has been mentioned. That now my name has to be added with title Singh. Now I henceforth will be known as "Anukul Singh" hence this affedevit vide affidavit no. 1616 dated 12.04.2022.

Anukul Singh.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 14—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 कारा/नि0को0(अधी0)–01–11/2018––6594
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प
15 जून 2022

श्री संजय कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर सम्प्रति काराधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर के विरूद्ध उनके मंडल कारा, मुंगेर में पदस्थापन के दौरान दिनांक 11.08.2018 को जिला प्रशासन, मुंगेर द्वारा मंडल कारा, मुंगेर में की गई औचक छापेमारी में 14 मोबाइल फोन, 06 मोबाइल चार्जर, 15 सिम एवं भारी मात्रा में अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी की घटना में बरती गई लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता के आरोप के लिए गठित प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1568 दिनांक 20.02.2019 द्वारा श्री संजय कुमार, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर सम्प्रति काराधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई, जिसमें आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी एवं अधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा अपने पत्रांक 3242 दिनांक 09.09.2021 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के प्रावधान के तहत विभागीय ज्ञापांक 9234 दिनांक 29.10.2021 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए आरोपित पदाधिकारी श्री संजय कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

4. तद्आलोक में श्री संजय कुमार द्वारा अपने पत्रांक 5042 दिनांक 30.11.2021 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें उनका कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा मंडल कारा, मुंगेर में की गई छापेमारी की अवधि में कारा में अधीक्षक के रूप में उनका नव पदस्थापन था एवं जिस तिथि (11.08.2018) को छापेमारी हुई थी, उस तिथि को वे मंडल कारा, मुंगेर अथवा कारा परिसर में भी नहीं थे। वे दिनांक 09.08.2018 के अपराह्न से दिनांक 13.08.2018 के पूर्वाह्न तक विभागीय आदेश के अनुपालन में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु कारा परिसर से बाहर पटना में थे। उनकी अनुपस्थिति में दिनांक 09.08.2018 के अपराह्न से दिनांक 13.08.2018 के पूर्वाह्न तक तत्कालीन प्रभारी उपाधीक्षक श्री निर्मल कुमार प्रभात अधीक्षक के प्रभार में थे।

आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि उनके द्वारा पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया गया है। कारा सुरक्षा की दृष्टिकोण से उनके द्वारा सभी कर्मियों को सजगतापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन एवं निरंतर छापेमारी कर प्रतिबंधित सामग्रियों को जब्त करने का निदेश दिया जाता रहा था, जिसकी पुष्टि संचालन पदाधिकारी द्वारा भी की गयी है। प्रभावी छापेमारी नहीं करने के आरोप के संबंध में आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि तत्कालीन प्रभारी उपाधीक्षक अपने पदीय दायित्वों के प्रतिकूल कार्य कर रहे थे। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में उनके विरूद्ध संलिप्तता का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है; अतः प्रभावी छापेमारी नहीं किये जाने के लिए उन्हें दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ पर अधीनस्थों की संलिप्तता उजागर हो रही है अर्थात् तत्कालीन प्रभारी उपाधीक्षक Sleeper Cell की भूमिका में कार्य कर रहे थे।

आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि बिहार कारा हस्तक नियम–797(v) के आलोक में तत्कालीन प्रभारी उपाधीक्षक को मिनट पुस्तिका द्वारा कारा में आपत्तिजनक सामानों के प्रवेश पर रोक हेतु उनके द्वारा निर्देश दिए जाते रहे,

परन्तु वे इसका अनुपालन नहीं कर रहे थे। तत्कालीन प्रभारी उपाधीक्षक द्वारा अधीक्षक के आदेश की अवहेलना एवं अनधीनता (Insubordination) की जाती रही थी।

5. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पाया गया कि दिनांक 11.08.2018 को जिला प्रशासन की छापेमारी में 14 मोबाइल फोन सहित भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्रियों की बरामदगी से स्पष्ट है कि कारा में प्रतिबंधित सामग्रियों का प्रवेश हुआ था, जिसे रोकने में आरोपित पदाधिकारी कारा के मुख्य पर्यवेक्षी पदाधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल साबित हुए हैं। उनके द्वारा अधीनस्थ प्रभारी उपाधीक्षक को पूर्णतः जिम्मेवार ठहराया गया है, किन्तु कारा के अन्दर भारी मात्रा में इन प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा कारा के नियंत्री पदाधिकारी होने के नाते अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया जा रहा था। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में प्रतिवेदित किया गया है कि कार्यालय के प्रधान होने के नाते यह अपेक्षित था कि आरोपित पदाधिकारी कारा के अन्दर सघन जाँच एवं छापेमारी के साथ–साथ अपने अधीनस्थों के मध्य उचित समन्वय एवं सामंजस्य रखते हुए और भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते थे। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने पदस्थापन अवधि में अपने दायित्व का विधिवत् निर्वहन नहीं किया गया। यह उनकी प्रशासनिक अदक्षता का परिचायक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कारा के अंदर से इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल फोन सहित भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्रियों के कारा में प्रवेश पर रोक लगाने हेतु उनके स्तर से कारगर कदम नहीं उठाया गया। यह आरोपित पदाधिकारी की अकर्मण्यता, कर्त्तव्यहीनता एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही को परिलक्षित करता है।

आरोपित पदाधिकारी का अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कहना है कि तत्कालीन प्रभारी उपाधीक्षक द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रतिकूल कार्य किया जा रहा था तथा कारा संचालन एवं नियंत्रण में अधीनस्थों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए सम्पूर्ण दोष अपने अधीनस्थ कर्मियों पर मढ़ रहे हैं, जबकि बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम–796(i) एवं (ii) के विहित प्रावधान के अनुसार काराधीक्षक सम्पूर्ण कारा के मुख्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षी पदाधिकारी हैं। इस नाते उनका यह पदीय दायित्व है कि अपने अधीनस्थ कर्मियों के कार्यों का सतत् पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करें, किन्तु वे इस दायित्व के निर्वहन में विफल रहे हैं। आरोपित पदाधिकारी द्वारा मंडल कारा, मुंगेर में अपने पदस्थापन काल में अपने स्तर से छापेमारी की कार्रवाई सही ढंग से नहीं की गई है; फलस्वरूप जिला प्रशासन की औचक छापेमारी में इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी हुई है। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रशासनिक अदक्षता, अधीनस्थों के साथ समन्वय एवं अधीनस्थों पर नियंत्रण के अभाव के आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया है।

आरोपित पदाधिकारी का अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कहना है कि उन्होंने विभिन्न तिथियों को मंडल कारा, मुंगेर में औचक तलाशी किया था तथा मिनट बुक के माध्यम से प्रभारी उपाधीक्षक एवं अन्य कर्मियों को सजगतापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु निदेशित किया था। आरोपी पदाधिकारी के इस कथन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा कारा में छापेमारी के नाम पर एवं अपने अधीनस्थों को निदेशित किये जाने के नाम पर महज खानापुरी की जा रही थी; अन्यथा दिनांक 11.08.2018 को जिला प्रशासन द्वारा की गई औचक छापेमारी में 14 मोबाइल फोन सहित भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी नहीं होती। कारा के अन्दर सघन जाँच एवं तलाशी तथा अपने अधीनस्थों के बीच आवश्यक समन्वय एवं सामंजस्य रखने में आरोपित पदाधिकारी पूर्णतः विफल साबित हुए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम–140, 796 (i), (ii), 870 (iii) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हुए अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर कोताही एवं कर्तव्य के प्रति उदासीनता बरती गई है। अतः आरोपित पदाधिकारी का द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब स्वीकार करने योग्य नहीं है।

6. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री संजय कुमार, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर सम्प्रति काराधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए तथा प्रमाणित पाये गये आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(vi) के प्रावधानों के तहत उनके विरूद्ध निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया :–

'' संचयी प्रभाव से तीन (03) वेतनवृद्धियों पर रोक का दण्ड ''।

7. **उपर्युक्त विनिश्चित दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 1668 दिनांक 21.02.2022 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 815 दिनांक 06.06.2022 द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।**

8. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री संजय कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर सम्प्रति काराधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(vi) के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :–

'' संचयी प्रभाव से तीन (03) वेतनवृद्धियों पर रोक का दण्ड ''।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

सं0 कारा/नि0(प्रोबेशन)–01/2017––6597

15 जून 2022

श्री लियोनार्ड तिर्की, तत्कालीन निदेशक प्रोबेशनचर्या, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध श्री मनोज कुमार सिन्हा, तत्कालीन उप निदेशक (प्रोबेशन), प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, बेऊर, पटना के परिवहन भत्ता की स्वीकृति एवं श्री चन्द्रमोहन प्रसाद, तत्कालीन प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, नवादा को सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या–PTS/JAIL–78 से ₹2,00,000/– (दो लाख) रूपये अस्थायी/प्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के अपने स्तर से दिये जाने के आरोप में श्री तिर्की के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित किया गया था।

2. विभागीय ज्ञापांक 4795 दिनांक 18.07.2018 द्वारा श्री तिर्की से प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों के आलोक में लिखित अभिकथन की मांग की गई। तद्आलोक में श्री तिर्की द्वारा अपने पत्रांक 144 दिनांक 02.08.2018 के माध्यम से अपना लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।

3. श्री तिर्की के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों एवं उनके द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन का सार संक्षेप निम्नवत् है :–

आरोप–(i) श्री लियोनार्ड तिर्की, तत्कालीन निदेशक प्रोबेशनचर्या, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना द्वारा श्री मनोज कुमार सिन्हा, उप निदेशक (प्रोबेशन), प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, बेऊर, पटना के परिवहन भत्ता की स्वीकृति वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–3 ए–2–वे0पु0 (परि0 भत्ता) 22/09–12414 वि0 (2) दिनांक–31.12.2009 की कंडिका–6 के विहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किये बिना अपने स्तर से ही प्रदान कर दी गई।

श्री तिर्की का लिखित अभिकथनः–विभागीय अधिसूचना संख्या 262 दिनांक 21.09.2016 द्वारा श्री मनोज कुमार सिन्हा का स्थानान्तरण प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, भागलपुर से प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, पटना किया गया था। तदआलोक में श्री सिन्हा द्वारा दिनांक 07.10.2016 को उप निदेशक (प्रोबेशन), प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, बेऊर, पटना के पद पर योगदान किया गया था। श्री सिन्हा द्वारा परिवहन भत्ता हेतु अपना प्रथम आवेदन अपने कार्यालय के पत्रांक 241 दिनांक 07.10.2016 द्वारा समर्पित किया गया। श्री सिन्हा ने परिवहन भत्ता की स्वीकृति हेतु अपना दूसरा आवेदन अपने कार्यालय के पत्रांक 251 दिनांक 19.10.2016 द्वारा समर्पित किया। पूर्व में संबंधित आवेदन आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रशाखा–10 को मार्क किया गया था, परन्तु उस पत्र पर ससमय कोई कार्रवाई नहीं की गई। तत्पश्चात् दूसरे आवेदन को संबंधित प्रशाखा को मार्क करने से पूर्व आवेदन के त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित सहायक एवं प्रशाखा पदाधिकारी से संबंधित परिपत्रों एवं संकल्पों के आलोक में विमर्श किया। यदि प्रशाखा द्वारा पूर्व समर्पित आवेदन पत्रांक 241 दिनांक 07.10.2016 के आलोक में त्वरित कार्रवाई की जाती तो श्री सिन्हा को दूसरा आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ उल्लेखनीय है कि श्री सिन्हा को निर्गत परिवहन भत्ता हेतु स्वीकृति पत्र उनके दूसरे आवेदन पत्र संख्या–251 दिनांक 19.10.2016 के आलोक में निर्गत है जबकि संचिका का उपस्थापन पत्रांक 241 दिनांक–07.10.2016 के पत्र के आलोक में किया गया है। प्रसंगाधीन मामले में किसी प्रकार की वित्तीय अनयिमितता नहीं हुई है और न ही वित्तीय राषि का गबन हुआ है। वस्तुतः यह मामला कार्य के त्वरित निष्पादन की मंषा से सद्भाव एवं विश्वसनीयता के कारण प्रदत्त शक्तियों में अतिरेक किये जाने से संबंधित माना जा सकता है।

आरोप–(ii) श्री तिर्की के द्वारा वित्त विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–वि0 6–विविध–1/ 06 (खंड) 242 (वि0) दिनांक 12.02.2008 की कंडिका–1(ii) में विहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए श्री चन्द्रमोहन प्रसाद, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, नवादा को सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या–PTS/JAIL–78 से ₹2,00,000/–(दो लाख) रूपये अस्थायी/प्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक 180 दिनांक 21.05.2015 द्वारा कर दी गई है, जिसके लिए वे सक्षम प्राधिकार नहीं है।

श्री तिर्की का लिखित अभिकथन :–श्री चन्द्रमोहन प्रसाद द्वारा अपने सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या–PTS/JAIL-78 से ₹2,00,000/–(दो लाख) रूपये अस्थायी/प्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति प्रदान करने हेतु आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन को त्वरित कार्रवाई करने हेतु मुख्यालय में कार्यरत प्रोबेशन पदाधिकारी को मार्क किया। वित्त विभाग के परिपत्र सं0–वि0–6–विविध–1/06 (खंड)–242 पे0 को0, दिनांक 12.02.2008 के संदर्भ में विभिन्न कार्यालयों से पृच्छा प्राप्त हुई कि भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम स्वीकृत करने के लिए किस पदाधिकारी को कार्यालय प्रधान समझा जायेगा। इस प्रसंग में स्पष्ट करना है कि सचिवालय से बाहर कार्यरत राज्यकर्मी के मामले में जिस कार्यालय से कर्मी के वेतन की निकासी होती है, उस कार्यालय के प्रधान उक्त परिपत्र के प्रयोजनार्थ कार्यालय प्रधान समझे जायेंगे। स्थायी (अप्रत्यर्पणीय) अग्रिम की स्वीकृति हेतु कार्यालय प्रधान से एक स्तर वरीय पदाधिकारी उक्त परिपत्र के प्रयोजनार्थ नियंत्री पदाधिकारी समझे जायेंगे।

श्री चन्द्रमोहन प्रसाद, तत्कालीन समय में जिला प्रोबेशन कार्यालय, नवादा के प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी थे एवं बिहार प्रोबेशन ऑफ अफेन्डर्स रूल्स–1959 के नियम–03 के अधीन निदेशक प्रोबेशनचर्या पदसोपान में प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी से एक स्तर ऊपर के पदाधिकारी हैं, जो परिपत्र सं0–786 दिनांक–11.06.2008 के आलोक में उनके नियंत्री पदाधिकारी माने जायेंगे। प्रश्नगत मामले में प्रोबेशन पदाधिकारी के स्तर से सद्भावपूर्वक उचित प्रस्ताव उपस्थापित किया गया एवं उन्होंने आवश्यक जाँचोपरान्त अपना अनुमोदन प्रदान किया है। इसमें किसी भी स्तर से किसी तरह की लापरवाही या अनियमितता नहीं हुई है।

आरोप–(iii) श्री तिर्की द्वारा परिवहन भत्ता एवं सामान्य भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति सीधे अपने स्तर से प्रदान कर दी गई और वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–3 ए–2–वे0 पु0 (परि0 भत्ता) 22/09–12414

वि0 (2) दिनांक–31.12.2009 की कंडिका–6 तथा संकल्प ज्ञापांक–वि0 6–विविध–1/06 (खंड) 242 (वि0) दिनांक 12.02.2008 की कंडिका–1(ii) में विहित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।

श्री तिर्की का लिखित अभिकथनः–उपर्युक्त दोनों मामलों में स्पष्ट विभागीय प्रावधानों के आलोक में आवश्यक परिस्थितियों में कार्य को सुगमता एवं सरलीकृत ढंग से निपटाने की विभागीय मंशा के आलोक में कार्रवाई की गई है, इसमें किसी भी प्रकार की वित्तीय या अन्य अनियमितता या वरीय पदाधिकारी की अवहेलना का कोई तथ्य दृष्टिगोचर नहीं होता है।

4. श्री लियोनार्ड तिर्की के विरूद्ध गठित आरोप एवं उनसे प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री मनोज कुमार सिन्हा, तत्कालीन उप निदेशक (प्रोबेशन), प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, बेऊर, पटना को परिवहन भत्ता की स्वीकृति विभागीय आदेश ज्ञापांक 295 दिनांक 20.10.2016 द्वारा सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के बिना प्रदान की गई थी। इसके आधार पर वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, पटना का वेतन पुर्जा भी निर्गत है। श्री चन्द्रमोहन प्रसाद, तत्कालीन प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, नवादा को सामान्य भविष्य निधि से ₹2,00,000/– (दो लाख) रूपये अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक 180 दिनांक 21.05.2015 द्वारा सक्षम प्राधिकार के स्वीकृति के बिना प्रदान की गई थी। इस राशि की वसूली 12 समान किस्तों में उनके वेतन से कर ली गई। अतएव ऐसी परिस्थिति में उक्त दोनों आदेशों को वर्त्तमान में निरस्त किया जाना उचित नहीं है। चूँकि उक्त दोनों मामले में राशि का दुर्विनियोग नहीं हुआ है, बल्कि सक्षम प्राधिकार से अनुमति नहीं ली गयी है। वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार परिवहन भत्ता स्वीकृत करने हेतु विभागाध्यक्ष/नियंत्री पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार हैं। कार्यपालिका नियमावली के नियम–21 के अधीन वित्तीय मामले में शक्तियों का प्रत्यायोजन के अन्तर्गत राजपत्रित पदाधिकारियों के संबंध में भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति (स्थायी/अस्थायी) एवं परिवहन भत्ता की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव हैं।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरान्त श्री मनोज कुमार सिन्हा, तत्कालीन उप निदेशक (प्रोबेशन), प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेषन कार्यालय, पटना के परिवहन भत्ता की स्वीकृति आदेश ज्ञापांक 295 दिनांक 20.10.2016 एवं श्री चन्द्र मोहन प्रसाद, तत्कालीन प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, नवादा के सामान्य भविष्य निधि से ₹2,00,000/– (दो लाख रूपये) मात्र की अस्थायी अग्रिम स्वीकृति से संबंधित विभागीय ज्ञापांक 180 दिनांक 21.05.2015 के संबंध में विभागीय आदेश ज्ञापांक 121 दिनांक 09.05.2022 द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है। चूँकि प्रश्नगत दोनों स्वीकृत्यादेश के मामले में कोई राशि का दुर्विनियोग नहीं हुआ है, केवल सक्षम प्राधिकार से अनुमति नहीं ली गई थी।

5. अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री लियोनार्ड तिर्की, तत्कालीन निदेशक प्रोबेशनचर्या, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध प्रस्तुत आरोप को संचिकास्त किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

सं0 कारा/नि0(प्रोबेशन)–01/2017––6596

---

15 जून 2022

श्री संजय कुमार सिंह, तत्कालीन प्रोबेशन पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना सम्प्रति प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, हाजीपुर के विरूद्ध श्री चन्द्रमोहन प्रसाद, तत्कालीन प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, नवादा को सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या–PTS/JAIL–78 से ₹2,00,000/–(दो लाख) रूपये अस्थायी/प्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति हेतु गलत प्रस्ताव निदेशक प्रोबेशनचर्या के समक्ष उपस्थापित किये जाने के आरोप में श्री सिंह के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित किया गया था।

2. विभागीय ज्ञापांक 4794 दिनांक 18.07.2018 द्वारा श्री सिंह से प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों के आलोक में लिखित अभिकथन की मांग की गई। तद्आलोक में श्री सिंह द्वारा अपने पत्रांक 83 दिनांक 01.08.2018 के माध्यम से अपना लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।

3. श्री सिंह के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों एवं उनके द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन का सार संक्षेप निम्नवत् है :–

आरोप–(i) श्री सिंह द्वारा सक्षम प्राधिकार का बिना उल्लेख किये ही श्री चन्द्रमोहन प्रसाद, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, नवादा को सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या–PTS/JAIL–78 से ₹2,00,000/– (दो लाख) रूपये अस्थायी/प्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति हेतु गलत प्रस्ताव निदेशक, प्रोबेशनचर्या को उपस्थापित किया गया। तदोपरान्त निदेशक प्रोबेशनचर्या द्वारा वित्त विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–वि0 6–विविध–1/06 (खंड) 242 (वि0) दिनांक 12.02.2008 की कंडिका–1(ii) में विहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए श्री चन्द्रमोहन प्रसाद को सामान्य भविष्य निधि से ₹2,00,000/– (दो लाख) रूपये अस्थायी/प्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक 180 दिनांक 21.05.2015 द्वारा कर दी गई है, जिसके लिए वे सक्षम प्राधिकार नहीं थे।

श्री सिंह का लिखित अभिकथनः–श्री सिंह का कहना है कि विभागीय आदेश संख्या–3138 दिनांक 19.06.2013 के आलोक में निदेशक प्रोबेशनचर्या द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में आवेदक श्री चन्द्रमोहन प्रसाद के आवेदन की विधिमान्यता की जाँच बिहार भविष्य निधि नियमावली के नियम–15 के प्रावधान के आलोक में की गई। श्री सिंह का कहना है कि उनके द्वारा बिहार भविष्य निधि नियमावली में स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण सद्भाव एवं प्रतिबद्धता द्वारा सम्यक् पालन किया गया एवं वरीय प्राधिकार के सहमत होने के उपरान्त ही प्रस्ताव अनुमोदित करने की अपेक्षा की गई। श्री चन्द्रमोहन प्रसाद तत्कालीन

समय में जिला प्रोबेशन कार्यालय, नवादा के प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी थे एवं बिहार प्रोबेशन ऑफ अफेन्डर्स रूल्स 1959 के नियम–03 के अधीन निदेशक, प्रोबेशनचर्या प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी से एक पद सोपान ऊपर पदस्थापित थे एवं परिपत्र सं0–786 दिनांक 11.06.2008 के आलोक में उनके नियंत्री पदाधिकारी थे। तदनुसार उपरोक्त नियमों के आलोक में सद्भावनापूर्वक प्रस्ताव का अग्रसारण किया गया। जहाँ तक प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रश्न है, वह वरीय पदाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वह चाहें तो अनुमोदित करें/आगे अग्रसारित करें या पुनः संशोधित प्रस्ताव की अपेक्षा करें।

आरोप–(ii) श्री सिंह द्वारा श्री चन्द्र मोहन प्रसाद, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी के सामान्य भविष्य निधि से ₹2,00,000/–(दो लाख) रूपये की अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति हेतु गलत प्रस्ताव उपस्थापित किया गया, जिसके कारण निदेशक प्रोबेशनचर्या द्वारा विहित प्रावधानों का उल्लंघन कर अपने स्तर से स्वीकृति प्रदान कर दी गई।इस प्रकार श्री सिंह का यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–3 (1) का उल्लंघन है।

श्री सिंह का लिखित अभिकथनः– श्री सिंह का कहना है कि श्री चन्द्र मोहन प्रसाद, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी के अस्थायी सामान्य भविष्य निधि अग्रिम हेतु समर्पित आवेदन पर निदेशक, प्रोबेशनचर्या के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में उपलब्ध उपरोक्त अंकित बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली एवं वित्त विभाग के परिपत्र के तहत अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुरूप उचित प्रस्ताव उपस्थापित किया गया।

4. श्री संजय कुमार सिंह के विरूद्ध गठित आरोप एवं उनसे प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री चन्द्रमोहन प्रसाद, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, नवादा को सामान्य भविष्य निधि से ₹2,00,000/– (दो लाख) रूपये अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक 180 दिनांक 21.05.2015 द्वारा सक्षम प्राधिकार के स्वीकृति के बिना प्रदान की गई थी। इस राशि की वसूली 12 समान किस्तों में उनके वेतन से कर ली गई। अतएव ऐसी परिस्थिति में उक्त आदेश को वर्त्तमान में निरस्त किया जाना उचित नहीं है। कार्यपालिका नियमावली के नियम–21 के अधीन वित्तीय मामले में शक्तियों का प्रत्यायोजन के अन्तर्गत राजपत्रित पदाधिकारियों के संबंध में भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति (स्थायी/अस्थायी) एवं परिवहन भत्ता की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरान्त श्री चन्द्र मोहन प्रसाद, तत्कालीन प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, नवादा के सामान्य भविष्य निधि से ₹2,00,000/– (दो लाख रूपये) मात्र की अस्थायी अग्रिम स्वीकृति से संबंधित विभागीय ज्ञापांक 180 दिनांक 21.05.2015 के संबंध में विभागीय आदेश ज्ञापांक 121 दिनांक 09.05.2022 द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है।

किन्तु श्री लियोनार्ड तिर्की, तत्कालीन निदेशक प्रोबेशनचर्या के अधीनस्थ पदाधिकारी श्री संजय कुमार सिंह, तत्कालीन प्रोबेशन पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना (सम्प्रति प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, हाजीपुर) द्वारा सक्षम प्राधिकार का उल्लेख किये बिना ही श्री चन्द्रमोहन प्रसाद, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, नवादा को सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या– PTS/JAIL–78 से ₹2,00,000/–(दो लाख) रूपये अस्थायी/प्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति हेतु गलत प्रस्ताव निदेषक, प्रोबेशनचर्या के समक्ष उपस्थापित किया गया है। अतएव श्री सिंह इस मामले में दोषी हैं।

5. अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री संजय कुमार सिंह, तत्कालीन प्रोबेशन पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना (सम्प्रति प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, हाजीपुर) के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के तहत निम्नांकित लघु दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

''असंचयात्मक प्रभाव से दो (02) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड''।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 14—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in